समाचार

सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग व गंदगी फैलाने पर किया गया अर्थदण्ड

(निगम के स्वच्छता विभाग के अधिकारियों ने की कार्यवाही)

कोरबा 21 सितम्बर 2019 –सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग दुकानों में करने, डस्टबिन न रखने तथा गंदगी फैलाने पर निगम द्वारा आज 06 लोगों पर 1400 रूपये के अर्थदण्ड की कार्यवाही की तथा उन्हें हिदायत दी कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें, अनिवार्य रूप से डस्टबिन रखें तथा गंदगी न फैलाएं।

निगम के स्वास्थ्य अधिकारी व्ही.के.सारस्वत एवं स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी डॉ. संजय तिवारी के द्वारा आज घंटाघर, चौपाटी, स्मृति उद्यान के सामने स्थित फल विक्रेताओं, जूस विक्रेताओं व नारियल पानी विक्रेताओं के ठेले, दुकानों का निरीक्षण किया गया तथा उनके द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने, डस्टबिन न रखने व गंदगी फैलाने पर 1400 रूपये का अर्थदण्ड किया गया। फल विक्रेता रंजीत पाण्डेय एवं जूस विक्रेता अब्दुल गनी मेमन के दुकानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक काउपयोग करते पाया गया, उक्त दोनों लोगों पर 500–500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। इसी प्रकार फल विक्रेता पवन कुमार यादव एवं रामबहादुर ने डस्टबिन नहीं रखें थे, जिन पर 100–100 रूपये का अर्थदण्ड लगाया, वहीं नारियल पानी विक्रेता राहुल यादव एवं फल विक्रेता रमेश कुमार यादव द्वारा अपने ठेले के आसपास कचरा फैलाया गया था, जिस पर उक्त दोनों लोगों पर 100–100 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया तथा इन सभी को समझाईश दी गई कि वे सिंगल यूज

प्लास्टिक का उपयोग न करें, दुकानों, ठेलों को पास डस्टबिन जरूर रखें तथा अपने आसपास कचरा न फैलाएं।